

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर (राजस्थान)

:: आदेश ::

राजस्थान अधिनस्थ एव मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती वर्ष 2018 के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक: शिविरा-मा/ संस्था/एफ-1/12102/शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ./वो-1/2017-18 दिनांक 29-11-2019 एवं क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102/शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ./वो-1/2017-18 दिनांक 16.12.2019 के तहत राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा 2018 में राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों (गैर अनुसूचित क्षेत्र) को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने, प्रदत्त निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्राबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.12(6)एफ.डी. (नियम)/05 दिनांक 13-03-2006 एवं एफ.15(1) एफ.डी. (नियम)/2017/जयपुर दिनांक 30-10-2017 के नियम 16 शेड्यूल IV के प्रावधानानुसार नियत मानदेय रु. 23700/- अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, देय होगा। राज्य सरकार के पत्र दिनांक प.8 (1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09-03-2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेशांक एफ.15 (1) एफ.डी. (नियम)/2017/जयपुर दिनांक 30-10-2017 के नियम 16 के तहत प्राबेशन ट्रेनी के नियत मानदेय पर नवीन पेंशन अंशदान की नियमानुसार कटौती की जावे।


परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा। इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

सम्बंधित संस्था प्रधान/पीईईओ इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी /ए-III/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।

लगातार- 02

5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ./वो-1/2017-18 दिनांक 29-11-2019 में प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के पश्चात् ही प्रदान की जायेगी। संबंधित संस्था प्रधान नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि संबंधित आशार्थी की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता यदि राज्य से बाहर की है तो इन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता को वाहक स्तर पर सूचित करे।
6. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का मिलान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के दो सेट प्राप्त करे एवं 50/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्ष पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। यदि ऐसे कोई अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिया जावे।
8. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणिकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरांत ही उन्हें पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जावे।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। आरक्षित वर्ग की समस्त महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा।
10. कार्मिक क 2 विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार " भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जायेगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित कार्मिक का सेवानिवृत्ति आदेश प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04-10-2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
12. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **30-12-2019** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यतः होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन होगी। संलग्न सूची क्र.सं. 01 से 11 तक



(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर

लगातार- 03

क्रमांक: जिशिअ/मु/मा/जालोर/संस्थापन/शाप्रअनु 2018/19/1711 दिनांक 19.12.2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप्र-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग पाली मण्डल,पाली।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालोर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक,जालोर।
10. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला-जालोर को प्रेषित कर लेख है कि आपके ब्लॉक में नियुक्त अभ्यर्थियों के निदेशालय द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पत्र वाहक स्तर पर स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित संस्था प्रधानों को आज ही सुपुर्द करे।
11. सम्बंधित प्रधानाचार्य/पीईईओ/प्रधानाध्यापक रामावि/राबामावि.....
12. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली ।






जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

क्रमांक: जिशिअ/मु/मा/जालोर/संस्थापन/शाप्रअनु 2018/19/1711 दिनांक 19.12.2019

Sr No.	ROLLNO	Merit	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CATE	H_CATE	Sel_Cate	Address	पदस्थापन स्थान	फोटो
1	519878	3872	DEEN DAYAL SHARMA	KAJOR MAL SHARMA	02-Aug-78	M	GEN	EX	GEN	VILL PATODA POST PATODA TEH LAXMANGARH Patoda Lachhmangarh SIKAR PINCODE 332312	GOVT SECONDARY SCHOOL HINDVADA, CHITALWANA (08180809201)(SANCHORE)	
2	510244	4426	RAJU RAM CHAHAR	KANA RAM CHAHAR	05-Jun-81	M	OBC	EX	OBC	VILL-INDERPURA POST-AMBAPA TEH-LADNUN INDERPURA Ladnun NAGAU PINCODE 341303	GOVT. SEC. SCHOOL RAMPURA, CHITALWANA (08180800201)(SANCHORE)	
3	504137	5089	GULHARI LAL	SITA RAM	02-Feb-81	M	GEN	EX	GEN	VPO-JERTHI TEH-DHOD SIKAR JERTHI Dhod SIKAR PINCODE 332031	GOVT. SECONDARY SCHOOL AMARPURA (227212), CHITALWANA (08180801301)(SANCHORE)	
4	502010	5118	SARDAR SINGH SAMOTA	JAGGU RAM SAMOTA	12-May-80	M	OBC	EX	OBC	WARD NO-7 DHANI-SAMOTA WALI REENGUS REENGUS PINCODE 332404 DIST.SIKAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HOTHIGAON NEAR CHITALWANA JALORE (213802), CHITALWANA (08180812901)(SANCHORE)	
5	509651	5187	VIRENDRA KUMAR	SHISHRAM	01-Oct-78	M	OBC	EX	OBC	C/o shishram, House number 6/21 Near New tehsil, court road Ward no. 10, JHUNJHUNU PINCODE 333001	GOVT.SR.SEC. SCHOOL VIRAWA, CHITALWANA (08180809802)(SANCHORE)	
6	508474	5983	NANU RAM	SUKHA DEV	30-Jul-84	M	OBC	EX	OBC	VPO-KOLIYA TEH-DIDWANA - KOLIYA Didwana NAGAU PINCODE 341305	GOVT SECONDARY SCHOOL MEGHAVA, CHITALWANA (08180810001)(SANCHORE)	
7	500830	6061	JITENDRA SINGH	MANOHAR SINGH	05-Jan-85	M	GEN	EX	GEN	DIGARANA - - DIGARANA JAITARAN PALI PINCODE 306308	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DANTIYA 213706 (213706), SANCHORE (08180518507)(SANCHORE)	

20/12

Sr No.	ROLLNO	Merit	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CATE	H_CATE	Sel_Cate	Address	पदस्थापन स्थान	फोटो
8	514521	7112	NARPAL SINGH	CHANDAR SINGH	30-Jun-82	M	GEN	EX	GEN	WARD NO 6 VILL DOSOD POST DOSOD TEH NEEMRANA DOSOD Neemrana ALWAR PINCODE 301703	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURACHAND (213797), CHITALWANA (08180814101)(SANCHORE)	
9	519316	8087	DEO KARAN SINGH	RAM SUKH	15-Jun-71	M	OBC	EX	OBC	GOTHRA BHUKRAN SIKAR - GOTHRA BHUKRAN Dhod SIKAR PINCODE 332031	GOVT. SR. SEC. SCHOOL JORADAR, CHITALWANA (08180808401)(SANCHORE)	
10	516519	8185	MADAN LAL JAYALWAL	HARISH CHANDRA JAYALWAL	20-Jul-78	M	OBC	EX	OBC	Madan Lal Jayalwal S/o Harish Chandra Jayalwal Nada ki Dhani, Kushalpura Road - P.O Kushalpura SIKAR PINCODE 332027	GOVT. SR. SEC. SCHOOL KHEJARIYALI, CHITALWANA (08180800501)(SANCHORE)	
11	522325	8502	BUNTI RAM JAT	DAYALA RAM JAT	05-May-84	M	OBC	EX	OBC	BHOMIYA KI DHANI VPO - GADHALA KALAN TEH - UDAIPURWATI JHUNJHUNU PINCODE 333053	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHATKI (213824), CHITALWANA (08180810201)(SANCHORE)	


 (राजेंद्र कुमार शर्मा)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर